CGDH040013202023

Presented on : 08-09-2023
Registered on : 08-09-2023
Decided on : 20-06-2025
Duration : 1 years, 9 months, 12 days

–:: FORM–D::–

IN THE COURT OF JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS KURUD DISTRICT– DHAMTARI (C.G.) Presiding Officer – Smt. Tanu Shree Gavel	
(Date of the Judgment 20/06/2025) (Criminal Case No. 1197/2023) (Central Filling No. 1195/2023) (CNR No. CGDH04–001320–2023) (Details of FIR No. 533/2023, Police Station – Kurud, District – Dhamtari)	
COMPLAINANT	थाना–कुरूद, जिला–धमतरी (छ.ग.)
REPRESENTED BY	श्री भूपेन्द्र कुमार डहरिया, ए.डी.पी.ओ.।
ACCUSED	सागर उर्फ बब्बन ध्रुवंशी, पिता–घनश्याम ध्रुवंशी, उम्र–25 वर्ष, निवासी शांति नगर, कुरूद, थाना–कुरूद, जिला–धमतरी (छ.ग.)
REPRESENTED BY	श्री गुलेश्वर साहू विधिक सहायता अधिवक्ता।

–:: FORM–E::–

Date of Offence	23/08/2023 to 24/08/2023
Date of FIR	24/08/2023
Date of Charge Sheet	08/09/2023
Date of Framing of Charges	17/10/2023
Date of Commencement of Evidence	30/10/2023 to 09/05/2025
Date of Which Judgment is Reserved	––
Date of the Judgment	20/06/2025
Date of the Sentencing Order, If Any	––

−:: ACCUSED DETAILS::−

Rank of the Accused	Name of the accused	Date of arrest	Date of release on Bail	Offence charged with	Whether acquitted or convicted	Sentence imposed	Period of detention undergone during trial for purpose of section 428 Cr.P.C.
01.	सागर उर्फ बब्बन ध्रुवंशी	25.08.2023	17.10.2023	धारा 457, 380 भा.दं.सं.	Acquitted	NA	NA

−:: FORM−F::−
−::: (INDEX) :::−

S.NO.	Description	Page No.
1.	Heading of Judgment	1
2.	Appearance of Advocates	1
3.	Charge	2−3
4.	Admitted Facts	3
5.	Prosecution Story	3
6.	Reasons and findings	5−8
7.	Sentence	NA
8.	Period of Detention & Set−Off	NA
9.	Disposal of Property	8
10.	Order of Compensation	NA
11.	Certificate under section 428 CrPC	10
12.	Warrant of Commitment on a sentence (Imprisonment of fine)	NA
13.	Copy of Judgment	1

::− निर्णय −::
आज दिनांक 20/06/2025 को घोषित

(01) अभियुक्त सागर उर्फ बब्बन ध्रुवंशी के विरूद्ध धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि, उसने घटना दिनांक 23.08.2023 की दरमियानी रात्रि समय 21.30 बजे, स्थान−प्रार्थी का किराना

दुकान, कारगिल चौक अंतर्गत थाना–कुरूद, जिला–धमतरी (छ.ग.) में सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व प्रार्थी विक्की देवांगन के किराना दुकान में चोरी करने के आशय से प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया एवं प्रार्थी विक्की देवांगन के किराना दुकान में रखे 04 बोरी राजश्री पान मसाला कीमती 4000/– रूपये एवं नगदी रकम 4000/– रूपये को प्रार्थी की सम्मति के बिना बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित किया।

(02) प्रकरण में अभियुक्त की गिरफ्तारी स्वीकृत है।

(03) अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी विक्की देवांगन के किराना दुकान में दिनांक 24.08.2023 के रात्रि 09.30 बजे से दिनांक 24.08.2023 के सुबह 05.00 बजे के मध्य कोई अज्ञात चोर द्वारा दुकान के प्लाई खिड़की को तोड़कर 04 बोरी पान मसाला कीमती करीबन 4000/– रूपये एवं नगदी रकम 4000/– रूपये को चोरी कर ले गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। गवाहों के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर गिरफ्तार कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

(04) अभियुक्त पर धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप पत्र विरचित कर, पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर उसने अपराध करना अस्वीकार किया एवं विचारण चाहा।

(05) अभियोजन की ओर से साक्षीगण विक्की देवांगन (अ.सा.–01), खूबलाल वर्मा (अ.सा.–02) एवं संदीप राजपूत (अ.सा.–03) का कथन कराया गया है।

(06) अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अभियुक्त कथन निर्मित किया जाकर पूछे जाने पर अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना एवं प्रकरण में झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया एवं अपनी प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य देने से इंकार किया है।

(07) प्रकरण में विचारण हेतु विचारणीय प्रश्न निम्न है:–

(i) क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 23.08.2023 की दरमियानी रात्रि समय 21.30 बजे, स्थान–प्रार्थी का किराना दुकान, कारगिल चौक अंतर्गत थाना–कुरूद, जिला–धमतरी (छ.ग.) में सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व प्रार्थी विक्की देवांगन के किराना दुकान में चोरी करने के आशय से प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया ?

(ii) क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर प्रार्थी विक्की देवांगन के किराना दुकान में रखे 04 बोरी राजश्री पान मसाला कीमती 4000/– रूपये एवं नगदी रकम 4000/– रूपये को प्रार्थी की सम्मति के बिना

बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित किया ?

–::विचारणीय प्रश्न पर सकारण निष्कर्ष::–

(08) उपरोक्त विचारणीय प्रश्न क्रमांक (i) एवं (ii) एक–दूसरे से संबंधित होने के कारण एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से एक साथ निराकृत किये जा रहे हैं। दांडिक न्यायशास्त्र का यह सुस्थापित विधिक सिद्धांत है कि अभियोजन को ही अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित सिद्ध करना होता है।

(09) प्रकरण के प्रार्थी विक्की देवांगन (अ.सा.–01) ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि वह अभियुक्त को नहीं पहचानता है। घटना 03 माह पूर्व कारगिल चौक उसके किराना दुकान कुरूद की है। घटना के दूसरे दिन जब वह दुकान खोलने गया तब देखा कि उसके दुकान में एक छोटा सा खिड़की है, जो कि टूटा हुआ था, कोई अज्ञात चोर घर के छत के तरफ से दरवाजा को तोड़कर घर अंदर प्रवेश कर दुकान कमरा के खिड़की को तोड़कर अंदर प्रवेश किया है। उसने अपने दुकान में देखा था कि उसके दुकान का सामान बिखरा हुआ पड़ा था एवं राजश्री का पाउच का 04 पैकेट एवं नगद राशि करीबन 4,000/– रूपये चोरी हुआ था, जिसके संबंध में उसने थाना–कुरूद में रिपोर्ट दर्ज कराया था, प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी.01 है। पुलिस वाले घटनास्थल पर आये थे, घटना स्थल का नजरी नक्शा प्र.पी.02 है।

(10) साक्षीगण खूबलाल वर्मा (अ.सा.–02) एवं संदीप राजपूत (अ.सा.–03) ने अपने न्यायालयीन कथन में बताये हैं कि वे अभियुक्त को नहीं पहचानते हैं। उक्त अभियुक्त से क्या संपत्ति जप्त हुआ है, उन्हें जानकारी नहीं है। उन्होंने पुलिस वालों के कहने पर कुछ कागजातों पर अपना हस्ताक्षर किया है। साक्षी खूबलाल वर्मा (अ.सा.–02) ने मेमोरेण्डम कथन प्र.पी.03 व संपत्ति पत्रक प्र.पी.04 एवं संदीप राजपूत (अ.सा.–03) ने संपत्ति पत्रक प्र.पी.04 में अपने हस्ताक्षर को स्वीकार किया है।

(11) प्रकरण के प्रार्थी विक्की देवांगन (अ.सा.–01) के न्यायालयीन कथन से दर्शित है कि घटना दिनांक को उसके कारगिल चौक कुरूद स्थित किराने दुकान के खिड़की को तोड़कर किसी अज्ञात चोर के द्वारा दुकान में प्रवेश कर राजश्री का पाउच का 04 पैकेट एवं नगद राशि करीबन 4,000/– रूपये चोरी किया गया था, जिसके संबंध में उसने थाना–कुरूद में प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी.01 रिपोर्ट दर्ज कराया था। प्रतिपरीक्षण में चोरी की घटना के संबंध में उक्त साक्षी का साक्ष्य अखण्डित रहा है, परंतु उक्त साक्षी ने अभियुक्त को पहचानने से इंकार करते हुए प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी।

(12) ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता के लिये यह प्रमाणित होना आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा ही प्रार्थी के दुकान में घुसकर चोरी की घटना कारित की गयी है। तत्संबंध में चोरीशुदा संपत्ति की जप्ती अभियुक्त से होने का तथ्य प्रमाणित होना आवश्यक है, जिससे उसके विरूद्ध धारा 114 साक्ष्य अधिनियम के "दृष्टांत क" के अनुसार उपधारणा की जा

सके। अभियुक्त के मेमोरेण्डम कथन प्र.पी.03 के स्वतंत्र साक्षी खूबलाल वर्मा (अ.सा.–02) ने पुलिस वालों के द्वारा उसके समक्ष अभियुक्त से किसी प्रकार का कोई कथन नहीं लिये जाने का कथन करते हुए मेमोरेण्डम कथन प्र.पी.03 पर मात्र अपने हस्ताक्षर को स्वीकार किया है तथा अभियोजन द्वारा धारा 154 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाने पर इस सुझाव को इंकार किया कि उसके समक्ष अभियुक्त ने मेमोरेण्डम कथन प्र.पी.03 का कथन किया था। इस प्रकार उक्त मेमोरेण्डम साक्षी ने मेमोरेण्डम कथन प्र.पी.03 का समर्थन नहीं किया है, जिससे मेमोरेण्डम कथन प्र.पी.03 संदेहास्पद प्रतीत होता है।

(13) अभियुक्त से चोरीशुदा सामान की जप्ती के स्वतंत्र जप्ती साक्षीगण खूबलाल वर्मा (अ.सा.–02) एवं संदीप राजपूत (अ.सा.–03) के द्वारा अभियुक्त से किसी प्रकार की जप्ती उनके समक्ष नहीं होने का कथन करते हुए जप्ती पत्रक प्र.पी.04 पर मात्र अपने हस्ताक्षर को स्वीकार किया है। उक्त साक्षीगण ने अभियुक्त को पहचानने से भी इंकार कर दिया है तथा अभियोजन द्वारा धारा 154 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाने पर इस सुझाव को इंकार किया कि संपत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी.04 के अनुसार उनके समक्ष अभियुक्त से पान मसाला जप्त किया गया था। इस प्रकार स्वतंत्र जप्ती साक्षियों द्वारा जप्ती पत्रक प्र.पी.04 का समर्थन नहीं किये जाने से उक्त जप्ती की कार्यवाही भी संदेहास्पद प्रतीत होती है। इस प्रकार विवेचना अधिकारी के द्वारा की गयी मेमोरेण्डम प्र.पी.03 एवं जप्ती पत्रक प्र.पी.04 की कार्यवाही संदेहास्पद प्रतीत होती है एवं संदेह के परे प्रमाणित नहीं पायी जाती है, जिसका लाभ अभियुक्त प्राप्त करने का अधिकारी है।

(14) अतः उपरोक्त परिस्थितियों में अभियोजन यह संदेह के परे प्रमाणित करने में असफल रही है कि अभियुक्त द्वारा ही घटना दिनांक 23.08.2023 की दरमियानी रात्रि समय 21.30 बजे, स्थान–प्रार्थी का किराना दुकान, कारगिल चौक अंतर्गत थाना–कुरूद, जिला–धमतरी (छ.ग.) में सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व प्रार्थी विक्की देवांगन के किराना दुकान में चोरी करने के आशय से प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया एवं प्रार्थी विक्की देवांगन के किराना दुकान में रखे 04 बोरी राजश्री पान मसाला कीमती 4000/– रूपये एवं नगदी रकम 4000/– रूपये को प्रार्थी की सम्मति के बिना बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित किया। अतः **अभियुक्त सागर उर्फ बब्बन ध्रुवंशी** को संदेह का लाभ देते हुये **धारा– 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध से **"दोषमुक्त"** किया जाता है।

(15) अभियुक्त के जमानत एवं मुचलके निरस्त किया जाता है तथा जमानतदार को उसके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा धारा 437(क) दं.प्र.सं. के अतंर्गत प्रस्तुत जमानत एवं बंधपत्र 06 माह तक प्रभावशील रहेंगें।

(16) प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति 05 पैकेट पान मसाला सिस्टम, 10 पैकेट पान मसाला राजश्री, 06 पैकेट पान पसंद एवं 04 पैकेट पानराज प्रार्थी को अपील अवधि पश्चात् वापस किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

(17) अभियुक्त के दोषमुक्त होने के कारण धारा 357 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रतिकर के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

(18) अभियुक्त द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के लिये धारा 428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित,
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित
किया गया।

(श्रीमती तनु श्री गवेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुरूद
जिला–धमतरी (छ.ग.)

(श्रीमती तनु श्री गवेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुरूद
जिला धमतरी (छ.ग.)

TANU SHREE GAVEL

Digitally signed by TANU SHREE GAVEL
Date: 2025.06.20 16:46:34 +0530

धारा 428 दं.प्र.सं. के तहत् तालिका

राज्य वि. सागर उर्फ बब्बन ध्रुवंशी

अभियुक्त का नाम	सागर उर्फ बब्बन ध्रुवंशी, पिता–घनश्याम ध्रुवंशी, उम्र–25 वर्ष, निवासी शांति नगर, कुरूद, थाना–कुरूद, जिला–धमतरी (छ.ग.)
गिरफ्तारी दिनांक	25.08.2023 को समय 18.00 बजे।
पुलिस अभिरक्षा की अवधि	निरंक
न्यायिक अभिरक्षा की अवधि	दिनांक 26.08.2023 से दिनांक 17.10.2023 तक
अभिरक्षा की कुल अवधि	दिनांक 26.08.2023 से दिनांक 17.10.2023 तक

मेरे निर्देश पर टंकित

दिनांक–20/06/2025
स्थान–कुरूद

–True–
(श्रीमती तनु श्री गवेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुरूद
जिला धमतरी छ0ग0